न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी चन्द्र शेखर भण्डारी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–171/2016
अन्तर्गत धारा :–53 आर.टी.एक्ट

उनवान प्रकरण

कैलाश आत्मज प्रभुलाल जी ब्राहमण गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा ।

वादी

बनाम

1. बालमुकुन्द पिता चन्द्रशेखर ब्राहमण गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा ।
2. रमेशचन्द्र पिता शंकरलाल ब्राहमण गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा ।
3. सुरेशचन्द्र पिता शंकरलाल ब्राहमण गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा ।
4. प्रकाशचन्द्र पिता शंकरलाल ब्राहमण गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा ।
5. मु0 नोजी बेवा शंकरलाल ब्राहमण गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा ।
6. रघुनंदन पिता गोर्धनप्रसाद ब्राहमण गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा ।
7. कमलाप्रसाद पिता गोर्धनप्रसाद ब्राहमण गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा ।
8. लीलाधर पिता गोर्धनप्रसाद ब्राहमण गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा ।
9. प्रवीण कुमार गोर्धनप्रसाद ब्राहमण गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा ।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सहाडा मु0 गंगापुर जिला भीलवाडा ।

प्रतिवादीगण

–:निर्णय :– दिनांक :–08.08.2017

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम सहाडा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 5835 रकबा 0.37 हे0, 5836 रकबा 0.38 हे0, 5837 रकबा 0.48 हे0 5838 रकबा 0.48 हे0 5869 रकबा 0.23 हे0 5871 रकबा 0.25 हे0 5873 रकबा 0.25 हे0 5874 रकबा 0.25 हे0 है।कुल किता 08 कुल रकबा 2.69 हे0, दर्ज रेकार्ड है । जिसमें वादी का हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी 6 लगायत 9 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा निहित है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 9 अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे है भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से भूमि को उपजाऊ बनाने लगान जमा कराने ऋण आदि लेने में अड़चन आती है । उक्त आराजीयात में वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से एवं कब्जे अनुसार हिस्सा विभाजन कराया जाकर स्वतंत्र खातें कायम करवाया जाए ।

प्रकरण का विधिवत विचारण किया जाकर वादग्रस्त आराजियात को विभाजन योग्य पाया जाने से वाद प्रारम्भिक डिक्री किया गया और तहसीलदार सहाड़ा को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने के आरेश प्रदान किया गया तहसीलदार सहाड़ा द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया विभाजन प्रस्ताव पर वादीगण व प्रतिवादीगण को सुना गया विभाजन प्रस्ताव पर किसी पक्षकार ने आपत्ति नहीं कि लिहाजा वाद में प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी उचित एवं न्याय हित में है ।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाडा (राज.)

–:आदेशः–

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है और संयुक्त खातेदारी की आराजियात को खातेदारो में नियमानुसार विभाजन किया जाता है।

1. कैलाश चन्द्र पिता प्रभुलाल ब्राहण सा0 गंगापुर

आ0नं0	रकबा
5838/2	0.44
5871	0.25
कुल किता 02	कुल रकबा 0.69 हे0

2. बालमुकुन्द पिता चन्द्रशेखर ब्राहण सा0गंगापुर

आ0नं0	रकबा
5835	0.37
5874	0.25
कुल किता 02	कुल रकबा 0.62 हे0

3. रमेशचन्द्र सुरेश चन्द्र प्रकाश चन्द्र पिता शंकरलाल नोजी बेवा शंकरलाल ब्राहण सा0गंगापुर

आ0नं0	रकबा
5836	0.38
5873	0.25
कुल किता 02	कुल रकबा 0.63

4. रघुनंदन कमलाप्रसाद लीलाधर प्रवीण कुमार पिता गोर्धन प्रसाद ब्राहण सा0गंगापुर

आ0नं0	रकबा
5837/2	0.44
5869	0.23
कुल किता 02	कुल रकबा 0.67

5. शामलाती बदस्तुर गे0मु0रास्ता हेतु

आ0नं0	रकबा
5837/1	0.04
5838/1	0.04
कुल किता 02	कुल रकबा 0.08

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक्–पृथक् खाते कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे। अंतिम डिकी जारी हो आदेश आज दिनांक 08.08.2017 को सरे इजलास सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)